कार्यालय,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा।

पत्र संख्या 761 /जिविसेप्रा/पैनल/2024–25 दिनांक 01.03.2025

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की योजना निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवायें 2010 के अन्तर्गत जनपद एवं तहसील के अधिवक्तागण से निम्न प्रारूप पर दिनांक 12.03.2025 तक प्रार्थनापत्र आमन्त्रित किये जाते है, जो विधिक सेवा एवं परामर्श देने हेतु 03 वर्षो के लिये गठित होने वाले पैनल करने में शामिल होने के इच्छुक हो और आवण्टित किये गये न्यायालय में लम्बित मुकदमों में पैरवी करने हेतु नियमानुसार मानदेय देय होगा। उल्लेखनीय है कि **03 वर्षो से कम वकालत की अवधि वाले अधिवक्तागण आवेदन हेतु पात्र नहीं है।**

आवेदन पत्र के साथ बार काउन्सिल में पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं की रंगीन फोटो संलग्न करके कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा में दिनांक 17.03.2025 तक जमा कर सकते है। विस्तृत विवरण एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय समय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

01/03/25

चयन समिति

प्रारूप

1. नाम अधिवक्ता :
2. पिता का नाम :
3. स्थायी पता :
4. वर्तमान पता (वर्तमान में मुख्यालय/ तहसीलों में बैठने का स्थान सहित)
5. दूरभाष/मोबाईल संख्या :
6. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक (तीन वर्ष से कम अवधि वाले आवेदन हेतु पात्र नहीं है)(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना हैं) :
7. शैक्षिक योग्यता :
8. वकालत का क्षेत्र जिसमें विधिक सेवा : देना चाहते है, दीवानी, फौजदार राजस्व : परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण, आदि।
9. अन्य विवरण यदि हो। :

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

<u>कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा</u>

पत्र सं0 /जिविसेप्रा/2024–25 दिनांक: 05.03.2025

<u>विज्ञप्ति</u>

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा में जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर पराविधिक स्वयं सेवक/अधिकार मित्र (पैरा लीगल वालेण्टियर) के रूप में कार्य करने के इच्छुक ऐसे व्यक्ति जिनकी रूचि सामाजिक सेवा में, दूरस्थ ग्रामों में स्थित निर्धन, असहाय, कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान में हो, के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वे सभी व्यक्ति जो पढ़ने–लिखने में सक्षम हो, सेवानिवृत्त अध्यापक, सेवानिवृत्त शासकीय सेवक, वरिष्ठ नागरिक, ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सक, विद्यार्थी, विधि विद्यार्थी जब तक वे अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत न किये गये हों, गैर राजनीतिक संगठन के सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, एम.एस.डब्ल्यू विद्यार्थी हैं, व राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर खेलस्पर्धा में रूचि रखने वाले/विशेष योगदान रखने वाले, सामाजिक कार्य में रूचि रखने वाले व्यक्ति पराविधिक स्वयं सेवक/अधिकार मित्र (पैरा लीगल वालेण्टियर) के रूप में कार्य करने के पात्र हैं और चयनित व्यक्ति को कृत कार्य के लिये वेतन, पारितोषक अथवा मजदूरी देय न होकर केवल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा द्वारा प्रत्येक माह में अधिकतम 20 कार्यदिवस का **<u>नियत मानदेय</u>** (400 रूपयें प्रति कार्यदिवस) के रूप में देय होगा।

इच्छुक आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र मय पहचान पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्रों सहित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी परिसर, गेट संख्या 04, आगरा के कार्यालय में **<u>दिनांक 05.03.2025 से दिनांक 20.03.2025 तक अपरान्ह 05:00 बजें तक</u>** जमा कर सकते है।

<u>आवेदन पत्र प्रारूप</u>

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

नाम :श्री/श्रीमती/सुश्री ....

पिता/पति का नाम: ....

पता (क) स्थायी पता :

(ख) वर्तमान पता :

शैक्षिक योग्यता–

कार्यक्षेत्र (सेवारत/सेवानिवृत्त/अन्य)–

पी0एल0वी0 के रूप में कार्य हेतु इच्छित स्थान–

(मुख्यालय/तहसील का नाम)

मोबाइल/दूरभाष संख्या–

पूर्ण हस्ताक्षर.......

दिनांक.............................

05/03/25

चयन समिति,